ऑन लाईन नं. GCMS 2026/13

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 05/2026

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स सांवरिया किरयाना स्टोर, नजदीक बस स्टेंड, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नंबर 141 वार्ड नं. 5, सत्यनारायन मंदिर के पीछे सादुलशहर, श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,52

निर्णय दिनांक: 20.02.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.10.2025 को समय 3.45 पीएम बजे को **मैसर्स सांवरिया किरयाना स्टोर, नजदीक बस स्टेंड, सादुलशहर, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार को अपना परिचय देकर संस्थान की रैक में 449–449 ग्राम के गत्ता बॉक्स पैकेड के 20 पीस खाद्य पदार्थ **लाइट किचन स्पेशल(सांवरिया)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वंय को संस्थान का प्रोपराईटर बताया व संस्थान में रैक में 449–449 ग्राम के गत्ता बॉक्स पैकेड के 20 पीस खाद्य पदार्थ **लाइट किचन स्पेशल(सांवरिया)** को आमजन में विकय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार (विकेता व प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार (विकेता व प्रोपराईटर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 449–449 ग्राम के गत्ता बॉक्स पैकेड के 20 पीस खाद्य पदार्थ **लाइट किचन स्पेशल(सांवरिया)** में से 449–449 ग्राम के चार गत्ता बॉक्स पैकेड कुल 1 किलो 796ग्राम वजनी को प्रोपराईटर से खरीद कर लिया। प्रोपराईटर को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **लाइट किचन स्पेशल(सांवरिया)** का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लाइट किचन स्पेशल(सांवरिया)** के 449–449ग्रमा के चार गत्ता बॉक्स पैकेड पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–3055** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–3055** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर प्रोपराईटर एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार (विकेता व प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1329/Act/2025/1329 Dated 13-10-2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3055 SubStandard Food & Misbranded Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स सांवरिया किरयाना स्टोर, नजदीक बस स्टेंड, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नंबर 141 वार्ड नं. 5, सत्यनारायन मंदिर के पीछे सादुलशहर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का लाइट किचन स्पेशल (सांवरिया) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51, 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.01.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी वार्ड नंबर 5 सादुलशहर, श्रीगंगानगर का हरने वाला है तथा प्रार्थी फर्म मै. सांवरिया किरयाना स्टोर दुकान बस स्टेंड, सादुलशहर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 26/146 दिनांक 27.01.2026 का दिया है कि आपकी दुकान में किचन स्पेशन सांवरिया की जांच की गई तो किचन स्पेशल सांवरिया **Substandard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त किचन स्पेशल में सुधार कर लिया है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण सं. 05/2026 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर ★

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **लाइट किचन स्पेशल (सांवरिया)** का सैम्पल **K-3055** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1329/Act/2025/1329 Dated 13-10-2025 **SubStandard Food & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Lite Kitchen Special "** bearing Code No and Sr. No. **K-3055**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as it found to contain Negative test result of the tsted parameter of Baudouin Test and Vitamin A as prescribed in Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. The sample is also **Misbranded food** under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006 as the

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

category or Sub-Category of Food under which it falls is not mentioned on the label.की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स सांवरिया किरयाना स्टोर, नजदीक बस स्टेंड, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नंबर 141 वार्ड नं. 5, सत्यनारायन मंदिर के पीछे सादुलशहर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री कौशल कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स सांवरिया किरयाना स्टोर, नजदीक बस स्टेंड, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नंबर 141 वार्ड नं. 5, सत्यनारायन मंदिर के पीछे सादुलशहर, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 20,000—00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner